कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U35201MH1990GOI223738

कंपनी के बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए संशोधित आचार संहिता और नैतिकता

(दिनांक 18.01.2019 को संपन्न निदेशक मंडल की 155 वीं बैठक में अनुमोदित।)

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृ.सं.
1.0	परिचय	02
2.0	परिभाषाएं और व्याख्याएं	2-3
3.0	उपयुक्तता	3
4.0	कोड की विषय-वस्तु	4
5.0	सामान्य नैतिक अनिवार्यता	4-5
6.0	विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व	6-8
7.0	बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान	8-10
8.0	वार्षिक अनुपालन रिपोर्टिंग	10
9.0	कोड प्राप्ति की पावती	10
10.0	परिशिष्ट - I	11
11.0	परिशिष्ट - II	12

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U35201MH1990GOI223738

कंपनी के बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधक के लिए आचार संहिता और नैतिकता

1.0 परिचय

1.1 इस आचार संहिता ("इस कोड") को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता और नैतिकता" कहा जाएगा (एतद्पश्चात् इसे "कंपनी" के रूप में उल्लिखित किया जाएगा)।

1.2 इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के कार्य प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा देना एवं प्रोत्साहित करना है।

1.3 बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए इस कोड को अब कंपनी अधिनियम, 2013, डी.पी.ई.और एस.ई.बी.आई. (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है।

1.4 यह बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए 18-01-2018 से संशोधित आचार संहिता के रूप में लागू होगा।

2.0 परिभाषाएं और व्याख्याएं

2.1 "बोर्ड के सदस्य" शब्द का अर्थ कंपनी के बोर्ड में निदेशक होगा।

2.2 "पूर्णकालिक निदेशक" या " कार्यकारी निदेशक" शब्द का अर्थ होगा, कंपनी के बोर्ड के निदेशक जो कंपनी में पूर्णकालिक सेवा में हैं।

2.3 "अंशकालिक निदेशक" शब्द का अर्थ होगा, कंपनी के बोर्ड के निदेशक जो कंपनी में पूर्णकालिक सेवा में नहीं हैं।

2.4 "स्वतंत्र निदेशक" शब्द का अर्थ यह होगा कि स्वतंत्र निदेशक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (47) और धारा 149 (6) तथा सेबी लोडर (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 का नियम 16 (बी) में परिभाषित किया गया है।

2.5 "रिश्तेदार" शब्द का अर्थ वह होगा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) और उसके प्रासंगिक नियमों में परिभाषित किया गया है।

2.6 "वरिष्ठ प्रबंधन" शब्द का अर्थ यह होगा कि निदेशक मण्डल को छोडकर कंपनी कर्मी जो इस मुख्य प्रबंधन टीम के सदस्य हैं और इसमें पूर्णकालिक निदेशकों या कार्यकारी निदेशकों के एक स्तर नीचे के सभी सदस्यों के साथ सभी कार्यकारी प्रमुख और वरिष्ठ प्रबंधन के प्रभारी शामिल हैं।

2.7 "कंपनी" शब्द का अर्थ होगा कि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका CIN:U35201MH1990GOI22378 नंबर है।

3.0 उपयुक्तता

3.1 यह कोड निम्नलिखित कर्मियों को लागू होगा।

क) कंपनी के सभी पूर्णकालिक निदेशक या कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित)।

ख) सभी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों और सरकारी नामित निदेशकों सहित)।

ग) कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन ।

3.2 पूर्णकालिक निदेशक या कार्यकारी निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन को कंपनी की अन्य लागू/लागू होने वाली नीतियों, नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना जारी रखना चाहिए।

4. **कोड की विषय वस्तु**

भाग I सामान्य नैतिक अनिवार्यता

भाग II विशिष्ट व्यावसायिक जिम्मेदारियां

भाग III बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान ।

व्यावसायिक कार्यों के संचालन में नैतिक निर्णय लेने के लिए आधार प्रदान करना इस कोड से अभिप्रेत है। व्यावसायिक नैतिक मानकों के उल्लंघन से संबंधित औपचारिक शिकायत की योग्यता को पहचानने के लिए एक आधार प्रदान करने का कार्य कर सकता है।

यह जाहीर है कि आचार संहिता और आचरण दस्तावेज में कुछ शब्द और वाक्यांश अलग -अलग व्याख्याओं के अनुसार हैं। किसी भी संघर्ष के मामले में, बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

भाग- I

5.0 **सामान्य नैतिक अनिवार्यता**

5.1 यह सिद्धांत सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित है। यह मौलिक मानव अधिकारों की रक्षा और सभी संस्कृतियों की विविधता का सम्मान करने के दायित्व की पुष्टि करता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे प्रयास सामाजिक दायित्व और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे तथा दूसरों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक प्रभावों से बचाएंगे।

5.2 इसलिए, सभी बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन जो गाड़ी संचालन , रख-रखाव, जनशक्ति के प्रबंधन और परियोजना निष्पादन के लिए भी उत्तरदायी है, वे सतर्क होने चाहिए और मानव जीवन तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए , कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी दोनों के बारे में दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए।

5.3 सभी बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन ईमानदार, विश्वसनीय होने चाहिए और इनमें सत्यनिष्ठा होनी चाहिए क्योंकि ये विश्वास के अभिन्न अंग हैं।

5.4 सभी बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन से अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक उद्यम के व्यवसाय का संचालन करते हुए व्यक्तिगत और व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों के अनुसार कार्य करें।

5.5 सभी बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समानता, सहिष्णुता, दूसरों के लिए सम्मान और निष्पक्षता तथा न्याय के सिद्धांत के अनुसार अनिवार्य रूप से कार्य करने चाहिए। वंश, लिंग, धर्म, जाति, उम्र, विकलांगता, राष्ट्रीय मूल या ऐसे अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव करना इस संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।

5.6 ईमानदारी, सूचना की गोपनीयता को बनाए रखती है। नैतिकता के मामले में सभी हितधारकों के लिए गोपनीयता के सभी दायित्वों का सम्मान करना चाहिए, जब तक कि इस कोड के कानून या अन्य सिद्धांतों की आवश्यकताओं में से ऐसे दायित्वों को खारिज नहीं किया जाता।

5.7 इसलिए, सभी बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन, कंपनी के व्यवसाय और मामलों के बारे में सभी गोपनीय अप्रकाशित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेंगे।

5.8 गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में अखंडता और पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर प्रयास करना।

5.9 जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए निरंतर कार्य करना।

5.10 कंपनी के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क रहना और कार्य करना।

5.11 कंपनी के हितधारकों को मूल्य-आधारित सेवाएं प्रदान करना।

5.12 विवेकपूर्वक और बिना किसी भय या पक्षपात के कर्तव्य करना।

भाग-II

6.0 विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व

6.1 बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन को प्रति दिन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भविष्य -दृष्टि, लक्ष्य और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए क्रियाशील रहने की आवश्यकता है।

6.2 कंपनी द्वारा अपनाए गए "सादर सेवा" के मूल्यों का पालन करना।

6.3 **व्यावसायिक कार्यों की प्रक्रियाओं और उत्पादों दोनों में उच्चतम गुणवत्ता, प्रभावशीलता और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रयास करना: -** उत्कृष्टता यह व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। इसलिए, सभी को अपने व्यवसायिक कार्यों में उच्चतम गुणवत्ता , प्रभावशीलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

6.4 **व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करना और उसे बनाए रखना: -**उत्कृष्टता उन व्यक्तियों पर निर्भर करती है जो व्यावसायिक क्षमता प्राप्त करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपयुक्त स्तर की क्षमता के लिए मानक स्थापित करने में भाग लें और उन मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करें।

6.5 **कानून का अनुपालन : -** बोर्ड के सदस्य और सी.पी.एस.ई. के वरिष्ठ प्रबंधन, स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान कानूनों के सभी लागू प्रावधानों का पालन करेंगे। साथ ही उन्हें कंपनी के व्यवसाय से संबंधित नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों और अधिनियमों का पालन करना चाहिए।

6.6 **स्वीकार करना और उचित व्यवसायिक समीक्षा करना : -** व्यवसायिक कार्य की गुणवत्ता व्यवसायिक समीक्षा और टिप्पणियों पर निर्भर करती है। जब भी उचित हो , व्यक्तिगत सदस्यों को सहकर्मी समीक्षा का उपयोग करना चाहिए और साथ ही दूसरों के काम की समीक्षा भी करनी चाहिए।

6.7 **कार्यपद्धति की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कर्मियों और संसाधनों का प्रबंधन करना : -** संगठन के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि साथी कर्मचारियों के लिए कार्य और व्यावसाय अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए ताकि साथी कर्मचारी अपनी उच्चतम क्षमता प्राप्त करने में सक्षम बनें। बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन, कंपनी के सभी कर्मचारियों की मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे, कंपनी के कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करेंगे और उनके उत्पादन एवं योगदान की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

6.8 ईमानदार रहना और किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचना: - बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन अपने परिवार और अन्य संपर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी से जुड़े लेनदेन में कोई भी व्यक्तिगत शुल्क, कमीशन या पारिश्रमिक नहीं ले सकते हैं, जिसमें संगठन में व्यवसाय या किसी एजेंसी को अनुबंध देने के लिए उपहार लेना या अन्य महत्वपूर्ण लाभ शामिल हैं।

6.9 कॉर्पोरेट अनुशासन का पालन करना: कंपनी में संप्रेषण सख्त नहीं होना चाहिए तथा कर्मचारियों को प्रत्येक स्तर पर खुद को अभिव्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए।

6.10 कंपनी की छवि बढ़ाने के अनुरूप आचरण करना: - सभी से उम्मीद की जाती है कि ड्यूटी ऑन और ऑफ के दौरान आचरण इस प्रकार से करें कि जिसमें कंपनी के मूल्य और संस्कृति का दर्शन हो जाए। उनके व्यक्तिगत अभिवृद्धि और व्यवहार पर कंपनी की प्रतिष्ठा निर्भर होती है और इसे संगठन के भीतर तथा जनता द्वारा देखा जाता है।

6.11 कंपनी के हितधारकों के प्रति उत्तरदायी बनना: - सभी, जिन्हें हम सेवा प्रदान करते हैं, वे हमारे ग्राहक हैं, जिनके बिना कंपनी व्यवसाय नहीं कर सकती, शेयरधारक, जो व्यवसाय में महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं, कर्मचारी, जो निहित कार्य कराते हैं, वेन्डर्स, जो समय पर डिलीवरी करते हैं और सोसायटी जिसके कार्यों के लिए कंपनी जिम्मेदार है वह कंपनी के हितधारक हैं। इसलिए, हर समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि वे कंपनी के हितधारकों के प्रति उत्तरदायी हैं।

6.12 इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए प्रतिबंध :- बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन आंतरिक प्रक्रियाओं के कोड का पालन करेंगे और कंपनी की प्रतिभूतियों के साथ इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम करेंगे।

6.13 कंपनी की संपत्ति की रक्षा करना :- बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की भौतिक संपत्ति , सूचना और बौद्धिक अधिकारों सहित संपत्ति की रक्षा करेंगे और व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे।

भाग – III

7.0 बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान

7.1 बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में: बोर्ड और समितियों की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेने का कार्य करेंगे।

7.2 बोर्ड सदस्यों के रूप में

7.2.1 बोर्ड के सदस्यों को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कंपनी सचिव को यह सूचित करना चाहिए कि उनके अन्य बोर्ड के पदों में कोई परिवर्तन, अन्य व्यवसाय से संबंध और अन्य घटनाएं / परिस्थितियां/ स्थितियां जो बोर्ड / बोर्ड समिति के कर्तव्यों को निभाने में हस्तक्षेप करती हैं या बोर्ड के निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं, चाहे वे स्टॉक एक्सचेंज और डीपीई के दिशा-निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 या उनके द्वारा सूचीबद्ध नियमों की स्वतंत्र आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

7.2.2 बोर्ड के निष्पक्ष सदस्यों की पूर्व स्वीकृति हितों के प्रत्यक्ष संघर्ष को टाल सकती है। हितों का संघर्ष तब हो सकता है जब उनका व्यक्तिगत हित हों, जिससे कंपनी के हित के साथ संभावित संघर्ष हो सकते हैं। उदाहरणार्थ निम्नानुसार मामले हैं:

संबंधित पार्टी के लेन-देन: कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों के साथ किसी भी लेन-देन या जिसमें उनका वित्तीय या अन्य व्यक्तिगत हित है (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कि परिवार के सदस्य या संबंधी या अन्य व्यक्ति या अन्य संगठन के साथ जिससे वे जुड़े हुए हैं)।

बाह्य निदेशक पद: कंपनी के व्यवसाय के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले किसी अन्य कंपनी के बोर्ड में निदेशक पद का स्वीकार करना।

परामर्श / व्यवसाय / रोजगार: किसी भी गतिविधि में शामिल होना (परामर्श सेवा उपलब्ध कराने, व्यवसाय को आगे बढ़ाने, रोजगार स्वीकार करने की स्थिति में) जिससे कंपनी के प्रति अपने कर्तव्यों / जिम्मेदारियों में बाधा या संघर्ष होने की संभावना हो। उनका कंपनी के किसी भी आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता या ग्राहक के साथ किसी अन्य तरीके से निवेश या संबद्ध नहीं होना चाहिए।

व्यक्तिगत लाभ के लिए आधिकारिक पद का उपयोग: व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग नहीं करना चाहिए।

7.3 आचार संहिता और नैतिकता का अनुपालन

7.3.1 बोर्ड के सभी सदस्य और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इस कोड के सिद्धांतों को बनाए रखेंगे और बढ़ावा देंगे।

संगठन का भविष्य तकनीकी और नैतिक उत्कृष्टता दोनों पर निर्भर करता है। इस कोड में व्यक्त सिद्धांतों का पालन करना बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि उनमें से प्रत्येक को दूसरों द्वारा इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए समर्थन भी करना चाहिए।

7.3.2 कोड का उल्लंघन करना संगठन के साथ असहयोग माना जाएगा

आचार संहिता का व्यवसायिक अनुपालन आम तौर पर एक स्वैच्छिक मामला है। हालाँकि, यदि बोर्ड का कोई भी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन इस कोड का पालन नहीं करता है , तो बोर्ड द्वारा इस मामले की समीक्षा की जाएगी और उसका निर्णय अंतिम होगा। कंपनी डिफॉल्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार अपने पास रखती है।

7.4 विविध बिंदु

7.4.1 कोड का निरंतर अपडेशन

यह कोड, कानून में परिवर्तन, कंपनी के तत्वों में बदलाव , भविष्य दृष्टि, व्यावसायिक योजनाओं में परिवर्तन या अन्यथा बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाने के अनुरूप निरंतर समीक्षा और अपडेशन के अधीन है और ऐसे सभी संशोधन / सुधारण उसमें दिए गए तिथि से प्रभावी होंगे।

7.4.2 कहां से स्पष्टीकरण मांगना है

बोर्ड या वरिष्ठ प्रबंधन के किसी भी सदस्य को इस आचार संहिता के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है तो कंपनी सचिव / निदेशक मंडल द्वारा विशेष रूप से नामित किसी भी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

8. वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट

8.1 सभी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि करेंगे। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा शामिल होगी। वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट का प्रोफ़ार्मा परिशिष्ट - I में है। वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट कंपनी सचिव को भेजी जाएगी। यदि कोई निदेशक / वरिष्ठ प्रबंधन के कार्मिक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय कंपनी को छोड़ते हैं, तो वे संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हुए कंपनी सचिव को इसकी सूचना देंगे।

9. कोड प्राप्ति की स्वीकृति

सभी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन परिशिष्ट - II में प्राप्ति सूचना फॉर्म में इस संहिता या किसी भी संशोधन (संशोधनों) की प्राप्ति के रूप में स्वीकार करेंगे और इसे कंपनी सचिव को अग्रेषित करेंगे, जिसमें यह दर्शाया गया है कि उन्होंने इस संहिता को प्राप्त किया, पढ़ा, समझा और इसके अनुपालन के लिए सहमत है।

परिशिष्ट - - I

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U35201MH1990GOI223738

बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए आचार संहिता और नैतिकता

वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट

मैं.. .... (नाम) .... (पदनाम) ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता और नैतिकता को पढ़ा और समझा है, साथ ही मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि 31 मार्च, ... को समाप्त वर्ष के दौरान संहिता के प्रावधानों का अनुपालन किया है और किसी का उल्लंघन नहीं किया है।

हस्ताक्षर: ___________________________________

नाम: ______________________________________

पदनाम: _________________________________

कर्मचारी संख्या: _________________________

टेलीफ़ोन नंबर: ________________________________

दिनांक: _____________

स्थान: _____________

परिशिष्ट - II

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U35201MH1990GOI223738

बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए आचार संहिता और नैतिकता

बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए आचार संहिता और नैतिकता प्राप्ति की पावती

मैंने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए आचार संहिता और नैतिकता प्राप्त की और पढ़ी है। मैंने आचार संहिता और नैतिकता में निहित मानकों और नीतियों को समझा है और यह भी समझता हूं कि मेरी नौकरी के लिए अतिरिक्त नीतियां या कानून हो सकते हैं। मैं बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता और नैतिकता का पालन करने के लिए सहमत हूं।

यदि मुझे उक्त आचार संहिता और नैतिकता के अर्थ या आवेदन से संबंधित शंकाएं हैं, सी.पी.एस.ई. की कोई भी नीति या मेरी नौकरी संबंधी लागू होने वाले कानूनी और विनियामक आवश्यकताएं हैं, तो मुझे ज्ञात है कि मैं के.आर.सी.एल. के कंपनी सचिव से सलाह ले सकता हूं और मेरे प्रश्न या रिपोर्ट की गोपनीयता रखी जाएगी।

मैं घोषित करता हूँ कि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के बाद 30 दिनों के भीतर कंपनी को वार्षिक आधार पर निम्नलिखित पुष्टि प्रदान करने का कार्य करता हूं।

हस्ताक्षर: ______________________________

नाम: ________________________________

पदनाम: ____________________________

कर्मचारी संख्या: ______________________

टेलीफोन नंबर: ___________________________

दिनांक: ___________

स्थान: ___________

प्रति: कंपनी सचिव, कोंकण रेलवे @co.secy@konkanrailway.com